FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0314 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/11/2025 12:38 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): मंगलवार Date From (दिनांक से): 08/07/2025 Date To (दिनांक तक): 08/07/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:30 बजे Time To (समय तक): 15:15 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/11/2025 Time (समय): 10:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 25/11/2025 12:38:39 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 30 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): POLICE CHAUKI LAIBUDAPURA, POLICE THANA BASERI DHAULPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BANWARI LAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMJI LAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1980 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM NAGALA BHUMMA, BASERI, BASERI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM NAGALA BHUMMA, BASERI, BASERI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARBHAN SINGH		पिता:HARIKISHAN	1. GRAM VADANPURA,WEIR,WEIR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 08.07.2025 को वक्त 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति ठाकुर उम्र 45 साल निवासी नगला भूम्मा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर उपस्थित कार्यालय आया एवं परिवादी श्री बनवारी लाल ने श्रीकान्त हैड कानि. 72 को रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर के नाम संबोधित की हुई पेश की, चूंकि ब्यूरो चौकी धौलपुर का अतिरिक्त चार्ज मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्ष, सवाईमाधोपुर के जिम्मे होने से श्रीकान्त हैड कानि. 72 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष प्रार्थना-पत्र के हालातो से अवगत कराते हुये बताया कि श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति ठाकुर उम्र 45 साल निवासी नगला भूम्मा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर ने एक हस्त लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि है मैने पुलिस थाना बसेडी पर मुकदमा नम्बर 222/2025 दर्ज करवाया था मेरे मुकदमे की जांच लैबुडापुरा चौकी पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर में पदस्थापित श्री हरभान सिह हैड कानि. जांच कर रहा है उक्त मुकदमें में श्री हरभान सिह हैड कानि. मेरी मदद करने की एवज में 10,000/- (दस हजार) रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं श्री हरभान सिह हैड कानि. को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं उसे रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी श्री हरभान सिह हैड कानि. से कोई रंजिश नही है और नाही मेरा कोई रूपयों का लेन-देन बकाया है। हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री बनवारी लाल की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त चार्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर से जरिये दूरभाष वार्ता करवाई गई तो परिवादी ने बताया कि हरभान जी हैड साहब मेरे से अकेले में रिश्वत राशि की बात नही करते है, वो मेरे मिलने वाले राजेन्द्र जी के मार्फत ही रिश्वत राशि के बारे में बातचीत करेंगे। राजेन्द्र जी को मेरे द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के बारे में पता है। मैं रिश्वत राशि की बात करने चौकी लैबडापुरा जाउंगा, जब राजेन्द्र मेरे को चौकी के आस-पास ही मिल जायेंगे। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से जरिये दूरभाष हुई वार्ता एवं परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाये जाने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीकान्त हैड कानि. को निर्देश दिये गये कि परिवादी को ब्यूरो चौकी के विभागीय वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमौरी कार्ड डालकर यह सुनिश्चित वॉईस रिकॉर्डर व मेमौरी कार्ड में कोई पूर्व से रिकॉडिंग नही है एवं वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाकर कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक श्री मनोज कुमार कानि. 179 को जरिये फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द करे व बाद रिश्वत मांग सत्यापन के जरिये फर्द वापसी विभागीय वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर हालातो से अवगत करवाने की मुनासिब हिदायत दी गई थी। इसके बाद समय 12.15 पी.एम पर हैड कानि. 72 ने गवाह श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 व श्री योगेश सिह कानि.88 के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्रीकान्त हैड कानि. 72 ने परिवादी से रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में वार्ता हेतु विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर कार्यालय आलमारी से निकालकर मय खाली मैमोरी कार्ड (32 जी.बी सेनडिस्क कम्पनी) सहित विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू एवं बन्द करने की विधि परिवादी को समझाकर कर श्री मनोज कुमार कानि. 179 को सुपुर्द कर हिदायत दी की, उक्त विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द कर बाद रिश्वत मांग सत्यापन विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय में लाकर पेश करने की हिदायत की गई। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुचारू रूप से सही कार्य कर रहा है डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में पूर्व से कोई रिकॉडिंग नही है। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई थी। इसके बाद समय 12.25 पी.एम पर परिवादी श्री बनवारी लाल एवं श्री मनोज कुमार कानि 179 को परिवादी की निजी वाहन से संदिग्ध हैड कानि. से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुलिस चौकी लैबुड़ापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर के लिए बाद हिदायत समझाईश कर रवाना किया गया था। तत्पश्चात् समय 03.15 पी.एम पर गवाह श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 व श्री योगेश सिह कानि. 88 के समक्ष परिवादी श्री बनवारी लाल की मौजूदगी में श्री मनोज कुमार कानि. 179 ने जरिये फर्द सुपुर्द शुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर मांगने पर अपने पास से निकालकर हैडकानि. 72 को पेश किया एवं परिवादी ने बताया कि मैं व श्री मनोज कुमार कानि. कार्यालय से रवाना होकर पुलिस चौकी लैबुड़ापुरा के पास पहुंचे। जहां पर पूर्व से ही मेरे मिलने वाले राजेन्द्र जी मिले। इसके बाद मैनें राजेन्द्र जी का परिचय श्री मनोज कुमार से

करवाया। इसके बाद श्री मनोज कुमार कानि. ने मुझे वाईस रिकॉर्डर में डले मेमौरी कार्ड सहित चालू कर अपना परिचय बोलकर सुपुर्द किया जिसे मैने प्राप्त किया। मैं व राजेन्द्र जी वहां से रवाना होकर पुलिस चौकी लैबुड़ापुरा में पहुंचे। जहां पर मैने हरभान सिह जी के बारे में पूछा तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि हैड साहब ऊपर है, हम ऊपर चले गये जहां पर हमें हरभान सिह हैड कानि. मिले जिनसे हमने मेरे द्वारा कराये गये मुकदमे के बारे में वार्ता करी तो श्री हरभान सिह हैड कानि. ने मेरे द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें कार्यवाही करने के बदले में 10,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की व मेरे द्वारा निवेदन करने पर 7,000/- रूपये लेने पर सहमत हो गया। इसके बाद मैं और राजेन्द्र वहां से रवाना होकर मनोज जी के पास आ गये। जहां पर मैने चालू हालत में रिकॉर्डर मनोज को दे दिया, जिसे मनोज जी ने रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। राजेन्द्र जी ने बताया कि मुझे घर पर आवश्यक कार्य है, मैं आपके साथ नही चल सकता हॅू। इस पर मनोज जी ने राजेन्द्र को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर वहां से रवाना कर दिया। इसके बाद मै और मनोज जी वहां से रवाना होकर कार्यालय एसीबी चौकी धौलपुर आ गये। इसके बाद हैड कानि. द्वारा परिवादी द्वारा बताये गये हालातो से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष वार्ता कर अवगत करवाकर परिवादी से वार्ता करवायी गयी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हैड कानि. द्वारा परिवादी को 7,000/- रूपये की व्यवस्था करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात निर्देशानुसार हैड कानि. ने प्रार्थना पत्र मय वायॅस रिकार्डर मे डले मैमोरी कार्ड सहित को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा। इसके बाद परिवादी श्री बनवारी लाल को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया था। इसके बाद दिनंक 10.07.2025 समय 09.15 ए0एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री भोलाराम कानि. 281 मय सरकारी वाहन चालक मनोज कुमार कानि. 647 के एसीबी कार्यालय धौलपुर उपस्थित हुआ चौकी हाजा का चार्ज स्वंय जिम्मे लिया व श्री कान्त हैड कानि. 72 द्वारा परिवादी श्री बनवारी लाल की लिखित रिपोर्ट तथा उसके साथ पेश कार्यवाही पुलिस, फर्दात तथा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मे डले मैमोरी कार्ड को हमराह परिवादी बनवारी लाल व सहपरिवादी श्री राजेन्द्र के अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये। जिस पर परिवादी श्री बनवारी लाल की लिखित रिपोर्ट एवं अन्य कागजात, फर्दात आदि का अवलोकन किया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी श्री बनवारी लाल ने पूर्व में दर्ज कराये गये हालातो की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी हरभान सिह हैड कानि. मेरे द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में कार्यवाही करने के लिए मेरे मिलने वाले राजेन्द्र जी के मार्फत 10,000/- रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा था मै हैड कानि. को रिश्वत राशि नही देना चाहता था इस पर मैने एसीबी चौकी धौलपुर पर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत रिपोर्ट श्रीकान्त हैड कानि. को दी थी श्रीकान्त हैड कानि. ने आपसे मेरी वार्ता कराये जाने पर दिनांक 08.07.2025 को रिश्वत मांग का सत्यापन कराया था मेरे द्वारा निवेदन किये जाने पर आरोपी हरभान सिह हैड कानि0 7,000/- रूपये मेरे द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में कार्यवाही करने के बदले में रिश्वत लेने पर सहमत हो गया है । इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सरसरी तौर से लैपटॉप कम्प्यूटर की मदद से चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई व वार्ता में परिवादी के कथनो की पुष्टि होना पाया गया था। इसके बाद समय 10.00 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से पूछने पर बताया कि आज आरोपी मेरे से सहपरिवादी श्री राजेन्द्र के साथ रिश्वत राशि को 7,000/- रूपये ले लेगा। इसके बाद पूछने पर परिवादी श्री बनवारी लाल ने बताया कि आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राषि 7,000/- रूपये अभी मेरे पास उपलब्ध हैं। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत तहसीलदार, तहसील कार्यालय धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री मनोज कुमार कानि. 179 को स्वतन्त्र गवाह लेकर आने हेतु तहसील कार्यालय धौलपुर रवाना किया गया। इसके बाद समय 10.35 ए.एम पर श्री मनोज कुमार कानि. उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर तहसील कार्यालय धौलपुर से दो स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित कार्यालय आया, जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री सचिन धौर्य पुत्र स्व. श्री रामदास जाति जाटव उम्र 25 साल निवासी सुन्दर कॉलोनी गली नम्बर 3 जी.टी. रोड़ धौलपुर पुलिस थाना निहालगंज जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय धौलपुर मो. [redacted] एवं श्री विक्रान्त मिश्रा पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद मिश्रा जाति ब्राहम्ण उम्र 36 साल निवासी ग्राम व पोस्ट लालपुर पुलिस थाना दिहोली जिला धौलपुर हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय धौलपुर मो[redacted]होना बताया जिनको कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी बनवारी लाल व सहपरिवादी श्री राजेन्द्र से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 08.07.2025 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक एवं लिखित स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने दिनांक सहित हस्ताक्षर किये थे। इसके बाद समय 11.00 ए.एम पर विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सहित को कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर विभागीय वाईस रिकार्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को विभागीय कम्प्यूटर के टेबिल स्पीकर से कनेक्ट किया जाकर विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में

रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी व सहपरिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में टेबिल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी व सहपरिवादी से पूछ-पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई तथा उक्त मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से दो डीबीडी मुलजिम प्रति एवं आई.ओ. प्रति में डब करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाया गया एवं मैमोरी कार्ड सैंडिस्क 32 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर न्यायालय प्रति मार्क एम अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्का अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया एवं उक्त दोनो डीवीडी मुल्जिम प्रति एवं आईओ प्रति पर मार्क ए अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मुल्जिम प्रति डीवीडी को कवर में रखवाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं आई.ओ. प्रति डीवीडी मार्क ए को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड की कम्प्यूटर की मदद से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिंट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। मूल मैमोरी कार्ड मार्क एम एवं मुल्जिम प्रति डीवीडी मार्क ए को मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 मुख्य आरक्षक को मालखाने में जमा करवाने हेतु सुपुर्द किया गया था। इसके बाद 01.00 पी. एम पर स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादी श्री राजेन्द्र के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री बनवारी लाल से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से पॉच-पॉच रूपये कुल चौदह नोट 7,000/- रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:- 1. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 PN 633191, 2. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 GM 148353, 3. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 VH 304038, 4. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 EK 724641, 5.एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 SA 851097, 6. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 RD 380687, 7. एक नोट पॉच सौ रूपये का 8 VP 114021, 8. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 GP 232896, 9. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 QD 760118, 10. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 VB 896849, 11. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 TS 307212, 12. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 DV 563058, 13. एक नोट पॉच सौ रूपये का 5 VK 105992, 14. एक नोट पॉच सौ रूपये का 9 DD 815729। उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्रीकान्त हैड कानि. 72 से कार्यालय में रखी अलमारी मे से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री बनवारी लाल व सहपरिवादी राजेन्द्र की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सचिन धौर्य वरिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो उनके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 7,000/- रूपये के नोटों को श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि0 67 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी व सहपरिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल से मिसकॉल देकर अवगत करावे, उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री विक्रान्त मिश्रा वरिष्ठ सहायक से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठा को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी व सहपरिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के माध्यम से कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी व सहपरिवादी को छोड कर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड 32 जी.बी सेनडिस्क कम्पनी का डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर दुरूस्त हालात में कार्य कर रहा है व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड 32 जी.बी सेनडिस्क कम्पनी में पूर्व से कोई रिकॉडिंग वार्ता नही है। श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द

पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाऊडर रसायनिक प्रतिक्रिया पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई थी। इसके बाद 02.50 पी.एम पर परिवादी श्री बनवारी लाल, सहपरिवादी श्री राजेन्द्र व श्री मनोज कुमार कानि. 179, को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से पुलिस चौकी लैबुडापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्रीकान्त हैड कानि. 72, श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71,श्री योगेश सिह कानि. 88, श्री ब्रह्मदेव कानि.449 व स्वतंत्र गवाह श्री विक्रान्त वरिष्ठ सहायक को प्राईवेट वाहन मय चालक पुलिस चौकी लैबुडापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री भोलाराम कानि. 281, श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतंत्र गवाह श्री सचिन धौर्य वरिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय चालक श्री मनोज कुमार कानि. 647 मय सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के पुलिस चौकी लैबुडापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। इसके बाद समय 03.50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी व सहपरिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा पुलिस चौकी लैबुडापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा करवाकर परिवादी बनवारी को पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड डले सहित को चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी बनवारी लाल व सहपरिवादी को मुनासिफ हिदायत कर रिश्वत लेन-देन हेतु आरोपी के पास जिला पुलिस चौकी लैबुडापुरा के लिये रवाना किया जाकर परिवादी व सहपरिवादी के पीछे पीछे श्री मनोज कुमार कानि., योगेश कानि., श्री इन्द्रजीत सिंह हैड कानि. व श्रीकान्त हैड कानि को रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के पुलिस चौकी लैबुडापुरा आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडे हो गये। परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार किया। इसके बाद 04.20 पी.एम पर परिवादी श्री बनवारी लाल व सहपरिवादी श्री राजेन्द्र पुलिस चौकी लैबुड़ापुरा से रिश्वत राशि लेन-देन हेतु नियत ईशारा किये बिना मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और बताया कि आरोपी श्री हरभान सिह हैड कानि. पुलिस चौकी के अन्दर किसी अन्य व्यक्ति से वार्ता कर रहा था जिसने मुझे दूर से देखकर ही हाथ के ईशारे से पुलिस चौकी के बाहर भेज दिया मैं व श्री राजेन्द्र आरोपी हैड कानि. का इन्तजार किया लेकिन आरोपी ने हमसे कोई सम्पर्क नही किया इसके बाद हम वहां से रवाना होकर आपके पास गये। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन-देन संबंधी कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नही पाई गई। परिवादी व सहपरिवादी द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा आज रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने की संभावना नही है इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व सहपरिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय सरकारी/प्राईवेट वाहनो मय चालक के लेपटॉप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स मय सरकारी विडियों कैमरा, विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के पुलिस चौकी लैबुडापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर के पास से रवाना कार्यालय एसीबी धौलपुर हुआ। तत्पश्तात समय 05.15 पी.एम पर फिकरा का रवानाशुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पहुंचकर परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा नम्बरी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 7,000/- रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री सचिन धौर्य, वरिष्ठ सहायक द्वारा निकलवाई जाकर स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नोट मिले जो फर्द में अंकित है, उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 7,000/- रूपये को सीधे ही स्वंतत्र गवाह श्री सचिन धौर्य वरिष्ठ सहायक से मालखाना प्रभारी श्रीकान्त हैड कानि. 72 को दिलवाकर मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये। ट्रेप बॉक्स व अन्य उपकरणो को भी सुरक्षित कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद परिवादी व सहपरिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी आरोपी आपसे रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करे तब आप कार्यालय या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत करावे। इसके बाद परिवादी व सहपरिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान, को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। इसके बाद समय 02.00 पी.एम पर परिवादी श्री बनवारी लाल कार्यालय में उपस्थित आया मन् अतरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछने पर बताया कि आरोपी श्री हरभान सिह हैड कानि. पुलिस चौकी लैबुडापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर को पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर में दर्ज मुकदमें में कार्यवाही की एवज में आरोपी द्वारा मेरे से रिश्वत राशि 10,000/- रूपये की मांग की थी उक्त मांग के अनुसरण में मैने आपके कार्यालय में उपस्थित होकर श्री हरभान सिह हैड कानि. को रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र पेश किया था, उक्त पर आपके निर्देशानुसार दिनांक 08.07.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी ने मेरे से मेरे द्वारा पुलिस थाना बसेडी में दर्ज करवाये गये मुकदमें में कार्यवाही करने की एवज में 10,000/-रूपये की मांग करना मेरे द्वारा निवेदन करने पर 7,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गया। किन्तु अब मेरे द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की आरोपी को भनक लग जाने के कारण आरोपी मेरे से सम्पर्क नही कर रहा है और नाही अन्य किसी के मार्फत मेरे से रिश्वत राशि की मांग कर रहा है, आरोपी को मेरे ऊपर शक हो गया। इसके उपरान्त परिवादी ने एक हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र रिश्वत राशि लौटाने बाबत इस आशय का पेश किया कि मैने 08.07.2025 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर श्री हरभान सिह हैड कानि. पुलिस चौकी लैबुडापुरा द्वारा मेरे से रिश्वत राशि की मांग करने पर श्री हरभान सिह हैड कानि. को ट्रेप कार्यवाही हेतु 7,000/-

रूपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था कर एसीबी को उपलब्ध करवाई थी जो एसीबी कार्यालय धौलपुर में जमा है, अब आरोपी श्री हरभान सिह् हैड कानि. मेरे ऊपर किसी कारणवश शक हो गया है। निवेदन है कि 7,000/- रूपये लौटाये जाने की कृपा करे। इस पर स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय हाजा में आज दिनांक 17.07.2025 को उपस्थित होने की हिदायत जरिये दूरभाष पाबन्द किया। इसके बाद समय 03.00 पी.एम पर स्तवंत्र गवाहान श्री सचिन धौर्य वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय धौलपुर एवं श्री विक्रान्त मिश्रा वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय धौलपुर उपस्थित आये जिनको परिवादी के समक्ष परिवादी द्वारा आरोपी श्री हरभान सिह हैड कानि. पुलिस चौकी लैबुडापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर के विरूद्ध करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक/शक आरोपी को हो जाने से अब आरोपी परिवादी रिश्वत राशि की मांग नही कर रहा है तथा परिवादी द्वारा आज दिनांक को रिश्वत राशि लौटाये जाने बाबत हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र को पढवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपने-अपने प्रमाण स्वरूप दिनांक सहित हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 303.30 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति ठाकुर उम्र 45 साल निवासी नगला भूम्मा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील जिस पर A.S.P A.C.B. DHOLPUR (46) लिखा हुआ है उक्त पीतल की सील को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति स्वतंत्र गवाह श्री सचिन धौर्य, वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द की गई एवं आवश्यकता होने पर न्यायालय में पेश करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय 04.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बाद कार्यवाही रिश्वत राशि 7,000/- रूपये से फिनोफ्थलीन पाउडर अच्छी तरह साफ करवाकर परिवादी श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति ठाकुर उम्र 45 साल निवासी नगला भूम्मा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर को सुपुर्द की गई, जिसकी प्राप्ती रसीद पृथक से प्राप्त की गई। बाद कार्यवाही स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय हाजा से रूखस्त किया गया। अब तक की गई सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री हरभान सिह हैड कानि. पुलिस चौकी लैबुडापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर द्वारा परिवादी श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति ठाकुर उम्र 45 साल निवासी नगला भूम्मा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर से परिवादी द्वारा पुलिस थाना बसेडी में दर्ज मुकदमें 222/2025 में आरोपी द्वारा बहैसियत अनुसंधान अधिकारी होते हुये परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में परिवादी की मदद/कार्यवाही करने की एवज में 10,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना उक्त मांग के अनुसंरण में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.07.2025 को परिवादी द्वारा निवेदन करने 7,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 10.07.2025 को आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि नही लेना एवं दिनांक 17.07.2025 को परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र के अनुसार आरोपी को ट्रेप कार्यवाही की भनक व परिवादी पर शक हो जाने के कारण आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त नही किये जाने पर आरोपी श्री हरभान सिह हैड कानि. पुलिस चौकी लैबुडापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण 1988 (यथा संशोधित 2018) के अनुसार दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाता है। आरोपी श्री हरभान सिह हैड कानि. पुलिस चौकी लैबुडापुरा पुलिस थाना बसेडी जिला धौलपुर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर प्रेषित की गई। (ज्ञान सिंह चौधरी)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर..........कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञान सिंह चौधरी, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हरभान सिंह पुत्र श्री हरिकिशन उम्र 49 साल निवासी ग्राम वदनपुरा थाना वैर जिला भरतपुर हाल हैड कानि. 229 चौकी लैबुडापुरा थाना बसेडी जिला धौलपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 478 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1777-80 दिनांक 25.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- पुलिस अधीक्षक, धौलपुर 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]1/2025 1[illegible]4

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)